अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें

क्रमांकः राजहैल्थ / टी.सी. / 27622 / 2024 / 248 दिनांकः 14/05/24

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक / राजकीय मेडीकल कॉलेज / राजमेस /
एसआरजी, झालावाड / आरयूएचएस,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
एवं शेष नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में

संदर्भः– निदेशालय के पत्र क्रमांक 172 दिनांक 12.04.2024, 187 दिनांक 23.04.2024 एवं 236 दिनांक 08.05.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा समीक्षा के दौरान विभाग में अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों जो स्वेच्छा से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं, की सूचना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव, संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा तत्समय नहीं प्रेषित करने के पर नाराजगी व्यक्त की गई है।

अतः लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिक, जो स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं, के विरूद्ध कार्मिक विभाग के नवीनतम परिपत्रानुसार अनुशासनात्क कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करते हुए ऐसे समस्त कार्मिकों को 03 दिवस में कर्तव्य पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु आपके स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें। उपरोक्त की पालना नहीं करने वाले कर्तव्य से अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध प्रकरणानुसार–परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करने / वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 12.01.2017 / राजस्थान सिविल सेवा नियम के नियम 86(4) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रस्ताव निदेशालय को 15 दिवस में भिजवाये जाना सुनिश्चित करावें। विलम्ब की स्थिति में पडने वाले विपरित प्रभाव के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांकः राजहैल्थ / टी.सी. / 27622 / 2024 / 248 दिनांकः 14/05/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–1 / 2 / 3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक(जन स्वा0), मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सभी संबंधित को ईमेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड करें।

RajKaj Ref
7142994

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :14-05-2024 09:52:59

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर 302005
Email: rajhealth-supp-rj@gov.in contact no. 0141-2222683